

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	कटनी जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन के खण्ड चाँदघाट से कटनी (गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी) मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 0.98 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 29.03.2019
स्थान: भोपाल


 (सुनील अग्रवाल)
 भा.व.से.
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश भोपाल